

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2026 — वैशाख 25, शक 1948

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS-2101/13/2025/सात-3.— छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि अधिनियम के अंतर्गत पट्टा प्राप्त करने हेतु वही व्यक्ति पात्र होगा, जिसके कुटुम्ब की वार्षिक आय रु. 3,00,000/- (तीन लाख) से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण कुमार मरकाम, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th May 2026

NOTIFICATION

No. GENS-2101/13/2025/seven-3.— In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Awasheen Vyakti Ko Pattadhriti Adhikar Adhinyam, 2023 (No. 7 of 2023), the State Government hereby notifies that, for the purposes of obtaining a lease under the Act, only such person shall be eligible whose family's annual income does not exceed ₹ 3,00,000/- (Three Lakh).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR MARKAM, Deputy Secretary.